अध्याय- पंचम

शोध सारांश निष्कर्ष एवं सुझाव

अध्याय- पंचम
शोध सारांश निष्कर्ष एवं सुझाव

5.1 प्रस्तावना

किसी भी देश का विकास उस देश की शिक्षा पर निर्भर करता है। उस देश की शिक्षा जैसी होगी वैसे ही उसका विकास हो पायेगा इसलिये आज विश्व के समस्त देश शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रहे है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 मे यह प्रावधान था कि आगामी 10 वर्षो मे 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के समस्त बालको के लिये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाये। इस लक्ष्य को पाने के लिये शासकीय और अशासकीय प्रयासो के बाद मात्र 65 प्रतिशत साक्षरता दर प्राप्त की गयी है। अभी भी बहुत अधिक विध्यार्थियो को शिक्षा की मुख्य धारा से नही जोड पाये है। इसलिये हमारे देश मे समावेशी शिक्षा का विकास होना अत्यंत आवश्यक है। क्योकि शिक्षा दवारा ही हमारे देश, राष्ट्र का निर्माण होता है। इसमे शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राष्ट्र तथा सामाजिक विकास के लिये शिक्षक ही उत्तरदायी होता है। क्योकि देश का विकास उस देश की शिक्षा पर निर्भर करता है। और शिक्षा शिक्षक पर निर्भर करती है।

प्राचीन काल से ही इसी कारण शिक्षक का आदर किया जाता आ रहा है। और उन्हे उच्च स्थान दिया जाता रहा है। शिक्षक समावेशी शिक्षा के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखेंगे तभी तो विध्यार्थियो की अभिवृत्ति सकारात्मक हो पायेगी जिससे हमारे समाज की अभिवृत्ति समावेशी शिक्षा के प्रति सकारात्मक होगी। इसलिये प्रस्तुत शोध अध्ययन मे समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन किया गया। इस अध्ययन मे लघु शोध का सारांस और प्रदंतो के विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष को प्रस्तुत किया गया है।

5.2 अध्ययन की आवश्यकता

विशिष्ट विद्यार्थीयों को अपनी विशिष्टता या अपने अविकसित अंग के कारण आगे बढने से डरते है हिचकिचाते है। उन्हे समावेशी शिक्षा के कारण अपना पूर्ण विकास करने का अवसर प्रदान किया जा सकता है। समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षको मे सकारात्मक अभिवृत्ति ऐसे विशिष्ट विद्यार्थीयों मे स्वस्थ्य भावना को जाग्रत करती है। तथा उनमे स्वयं के प्रति हीन भावना आने से रोकती है। और उन्हे प्रोत्साहित करती है। विशिष्ट विद्यार्थीयों के लिये महिला शिक्षक हो या पुरुष शिक्षक को उन सभी की अभिवृत्ति सकारात्मक होना चाहिये। तभी तो हम सामान्य विद्यार्थीयों को विशिष्ट विद्यार्थीयों के साथ शिक्षा प्रदान कर सकते है। और सभी विद्यार्थीयों को उनके आवश्यकता के अनुसार अवसर प्रदान कर सकते है।

5.3 विशिष्ट की अवधारणा

विशिष्ट एक भौतिक संवेदी बौद्धिक भावनात्मक सामाजिक आदि है जो रोज़गार शिक्षा के कार्यों और पूर्ण सहभागिता की गतिविधियों को प्रदर्शित करती है।

विशिष्ट आज की मानवीय कार्यप्रणाली में परिवर्तन की अनुरूपता है जो विशिष्ट किसी व्यक्ति की ज़िम्मेदारी को प्रभावित करती है वह पर्यावरण पर, सामाजिकता पर, शिक्षा पर, बहुत अधिक निर्भर करती है जिसमें एक व्यक्ति सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक तरीके से विशिष्ट होता है। विशिष्ट व्यक्ति वह हैं जो सामान्य व्यक्तियों की तुलना में अपनी रोजमर्रा की गतिविधि के रूप में प्रदर्शन करने में भिन्न हैं। विभिन्न प्रकार के विशिष्ट जैसे कि मानसिक मंदता, वाणी बाधिता, दृष्टिदोष, बौद्धिक अक्षमता, प्रमस्तकीय पक्षाघात और अधिगम असमर्थ, बहुबाधिता आदि। इस तरह असक्षम विद्यार्थीयों के कामकाज के कई क्षेत्रों में औसत छात्रों से भिन्न होते हैं जिसके लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। विशेष शिक्षा 19वीं शताब्दी में एक विशिष्ट संरक्षित वातावरण में असाधारण विध्यार्थियो को शिक्षा के लिए बनाया गया है, क्योंकि उन्हें मुख्य

शिक्षा प्रणाली से बाहर रखा गया था। यदयपि विशेष पर्यावरण ने अपने व्यक्तित्व को अभी तक अपवर्जन बना दिया है, जिसने तथाकथित विशेष विध्यार्थियो के भीतर अविश्वास और झिझक की भावना पैदा की। यह अपने जीवन में सामान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो जाता है कि शिक्षा और रहने वाले वातावरण के रूप में सामान्यता प्रदान करना है। सामान्यीकरण केवल बाधाओं को कम करने और उन्हें मुख्य धारा में लाकर ही प्राप्त किया जा सकता है।

5.4 समावेशन की अवधारणा

अपने व्यापक और सर्व समावेशन अर्थ समन्वित शिक्षा में, एक अभिवृत्ति के रुप मे उन सभी विद्यार्थीयों, युवाओं और वयस्कों की सीखने की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करना है समावेशन वह है जिसकी सहायता से सभी विशिष्ट विद्यार्थीयों को उनकी आवश्यकताओ के अनुसार समान जरुरत को पूरा किया जा सकता है। इसका मतलब सभी शिक्षार्थियों, युवाओं और विशिष्ट लोगों के साथ या अन्य किसी व्यक्तियो के साथ विद्यालयों और सामुदायिक शैक्षणिक माध्यम से सहायता सेवाओं के उपयुक्त उपायों के साथ मिलकर सीखने में सक्षम है, यह एक स्वीकार्य तथ्य है कि एक साथ सीखने वाले। विद्यार्थीयों को एक साथ रहने के लिए सीखना है। यह दर्शन विविध विद्यार्थीयों के बीच समावेशन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के बीच सद्भाव लाएगा, शायद सबसे चुनौतीपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा के मामले में सामग्री संसाधनों का कोई मूल्य नहीं होता, यदि मानव मूल्यों या संसाधनों की अनदेखा किया जाता है। समावेशी शिक्षा प्रणाली का अभ्यास किया जा सकता है और प्रत्येक विद्यार्थीयों के सर्वोत्तम हित में शिक्षण कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए कैसे विकसित किया जाए प्रत्येक विध्यार्थियो के सर्वोत्तम हित में प्रत्येक व्यक्ति को शामिल करना एक मुद्दा है। समावेशन समाज में हर एक कक्षा शिक्षक, विदयालय प्रबंधक, कर्मचारियों और प्रबंधकों, प्राधिकरण सेवाओं की श्रेणी में सामान्य विध्यार्थियो के माता-पिता और लचीली शिक्षा प्रणाली में संभवतः एक समस्या है जो की

जरूरतों को समेटती है। शिक्षार्थियों की एक विविध श्रेणी और इन जरूरतों को पूरा करने के लिए खुद को अनुकूल बनाता है इस उद्देश्य प्रणाली में सभी हितधारकों (शिक्षार्थियों, माता-पिता, समुदाय, शिक्षकों, प्रशासनिक और नीति निर्माताओं) को विविधता के साथ सहज होना और एक समस्या के बजाय एक चुनौती के रूप में देखना है। समावेशन जैसे कि उनके आत्मविश्वास के स्तर को बढ़ाने और सामाजिक समूह का एक हिस्सा महसूस करने के लिए जिससे वे कमजोर समूहों के बौद्धिक / संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास का पालन करते हैं।

विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले विध्यार्थियो को सामान्य कक्षाओं और स्कूलों में विशिष्ट विध्यार्थियो (गैर- विशिष्ट विध्यार्थियो) के साथ अध्ययन करने की अनुमति देकर शिक्षा संस्थानों दवारा संज्ञानात्मक समावेश की कोशिश की जाती है। लेकिन केवल बहुत ही कम जगहों पर संज्ञानात्मक समावेश इसके वास्तविक अर्थ में होता है। संज्ञानात्मक समावेश केवल तभी संभव है, यदि विषय छोटे अध्यापन इकाइयों में टूट गया हो और शिक्षक सुनिश्चित करता है कि सबके प्रत्येक सूक्ष्मकुंडों को सभी विद्यार्थीयों दवारा अपेक्षित स्तर के स्वामित्व के लिए सीखा जाता है। प्रत्येक विद्यार्थीयों को उचित समय पर और उचित तरीके से जानकारी को समझने बनाए रखने और पुन: उत्पन्न करने के लिए समान अवसर दिया जाता है।

यदि शामिल किए जाने या उसे सही अर्थों में हासिल करना है तो यह एक समीकरण के रूप में उभर आता है।

5.5 समस्या कथन

समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षको की अभिवृत्तिः एक अध्ययन

5.6 शोध समस्या के चर

1. अभिवृत्ति

5.7 अध्ययन के उद्देश्य

1. समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षको की अभिवृत्ति का अध्ययन।
2. समावेशी शिक्षा के प्रति पुरुष शिक्षको की अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
3. समावेशी शिक्षा के प्रति महिला शिक्षको की अभिवृत्ति का अध्ययन करना।

5.8 अध्ययन की परिकल्पना

समावेशी शिक्षा के प्रति पुरुष और महिला शिक्षक की अभिवृत्ति मे सार्थक अंतर नही है।

5.9 शोध की परिसीमाएें

1. प्रस्तुत अध्ययन केवल भोपाल जिले तक ही सीमित है।
2. प्रस्तुत अध्ययन शासकीय और अशासकीय विद्यालयों तक सीमित है।
3. प्रस्तुत अध्ययन प्रारंभिक शिक्षको पर ही सीमित किया गया है।
4. प्रस्तुत अध्ययन प्रारंभिक शिक्षको की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के संबंध मे किया गया है।

5.10 न्यादर्श व जनसंख्या

प्रस्तुत शोध कार्य के लिये शोधार्थी दवारा प्रतिदर्श के चयन के लिये शासकीय और अशासकीय विद्यालयों को लिया गया है, जिसके अंतर्गत पांच शासकीय एवं पांच अशासकीय है जो कि शहरी क्षेत्र से लिये गये है।

प्रस्तुत शोध कार्य हेतू शोधार्थी दवारा 70 प्रारंभिक शिक्षको का चयन किया गया है, क्योंकि इस स्तर पर उन्हे विद्यार्थीयों के प्रति अधिक सहानुभूति होती है।

जनसंख्या- प्रारंभिक शिक्षा

न्यादर्श- 70 प्रारंभिक शिक्षक

5.11 उपकरण

शोध मे प्रदंतो का संकलन करने हेतू विभिन्न प्रकार के उपकरणो की आवश्यकता होती है जिससे प्रदंतो के विश्लषण तथा व्याख्या करने मे सरलता होती है। शोधार्थी दवारा चयनित किया गया उपकरण स्वनिर्मित है। जो कि विस्वसनीय एवं उद्देश्यपूर्ण है जिसमे सकारात्मक और नकारात्मक नीति आधारित, अभ्यास आधारित और संस्कृति पर आधारित संबंधित कथनो को चयनित किया गया है। समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षको की अभिवृत्ति की प्रक्रियाओ का अध्ययन करने के लिये निकट मापनीय के आधार पर शोधार्थी ने अभिवृत्ति मापनी को 5 स्कोरिंग से विकसित किया है। (पूर्णतः सहमत, सहमत, अनिश्चित, असहमत, पूर्णतः असहमत)

अभिवृत्ति पता करने के लिये कथनो के दवारा स्कोर किया गया है। जो पूर्णतः समावेशी शिक्षा पर आधारित है तथा अभिवृत्ति मापनी कथनो के रुप मे इन कथनो का उत्तर प्रारंभिक शिक्षको दवारा दिया गया है। इन्ही उत्तरो के आधार पर शोधार्थी दवारा प्रदंतो का संकलन किया गया है।

1. समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षको की अभिवृत्ति को जानने के लिये निकट मापनी के आधार पर रचनावली बनाई गयी है, जिसमे 40 कथन है। समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षको की अभिवृत्ति मापने के लिये राजपूत जगमोहन सिंह देवल, ओंकारसिंह मिश्र, चौधरी हेमकांत मिश्र, चंदपूरण की विध्यालय शिक्षा के क्षेत्र मे अनुभूति प्राप्त की गयी। (एन.सी.ई.आर.टी.) की सहायता ली गयी इसमे प्रदंतो के संकलन के लिये शोधार्थी सर्वप्रथम विध्यालय के प्राध्यापक से व्यक्तिगत रुप से मिली तथा उन्हे अपने लघु शोध के उद्देश्य से अवगत कराया । उन्होने शोध की उपयोगिता को समझकर अनुमति प्रदान की प्राध्यापक की अनुमति मिलने के पश्चात विध्यालय के प्रारंभिक शिक्षको से मिली और उन्हे निर्देश दिये गये की मुझे आप सभी से समावेशी शिक्षा के बारे मे जानकारी लेनी है। जिसमे आपकी निजी जानकारी भी लेनी है। आपकी निजी जानकारी को पूर्ण तरीके से गोपनीय रखा जायेगा। अतः आप सभी प्रदंतो के संकलन हेतू सहायता प्रदान करे।

इसी प्रकार 10 स्कूलो की प्रारंभिक शिक्षको से अध्ययन के लिये संग्रहित किया गया जिसमे से 05 अशासकीय और 05 शासकीय विध्यालय लिये गये।

5.12 सांख्यकीय विश्लेषण

प्रस्तुत शोध अध्ययन मे शोध के आधार पर शोधार्थी दवारा समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षको की अभिवृत्ति का अध्ययन करने के लिये t- test का उपयोग किया गया है। जिसमे समावेशी शिक्षा के प्रति प्रारंभिक शिक्षको का अध्ययन लिंग के आधार पर किया गया है। जिसमे नीति पर लिंग के आधार पर अध्ययन किया गया है। अभ्यास पर लिंग के

आधार पर और संस्कृति पर लिंग के आधार पर अध्ययन समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन किया गया है।

5.13 निष्कर्ष

1. समावेशी शिक्षा के प्रति नीति के आधार पर पुरुष शिक्षक और महिला शिक्षक मे सार्थक अंतर नही पाया गया।

2. समावेशी शिक्षा के प्रति संस्कृति के आधार पर पुरुष शिक्षक और महिला शिक्षक मे सार्थक अंतर नही पाया गया।

3. समावेशी शिक्षा के प्रति अध्ययन के आधार पर पुरुष शिक्षक और महिला शिक्षक की अभिवृत्ति मे सार्थक अंतर पाया गया। जिसमे पुरुष शिक्षक की अभिवृत्ति महिला शिक्षक के अभिवृत्ति से अधिक पायी गयी।

5.14 भावी शोध हेतू सुझाव

भविष्य मे शोध हेतू कुछ समस्यायें अध्ययन के लिये ली जा सकती है। क्योंकि भारत मे समेकित शिक्षा को उचित स्थान नही मिल पाया जिससे समावेशी शिक्षा की उत्पत्ति हुई इस दिशा मे शोध के अनुसार भावी शोध हेतू कुछ महत्वपूर्ण समस्यायें इस प्रकार हैः-

1. समावेशी शिक्षा का विध्यार्थियो के शैक्षिक स्तर पर प्रभाव
2. ग्रामीण क्षेत्र मे समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षको की अभिवृत्ति का अध्ययन
3. समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षको की नवीनता का अध्ययन
4. समावेशी शिक्षा के प्रति अभिभावको की अभिवृत्ति का अध्ययन
5. समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षको की नवीनता का अध्ययन
6. समावेशी शिक्षा के प्रति समाज की अभिवृत्ति एवं जागरुकता का अध्ययन

7. ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र मे समावेशी शिक्षा के प्रति विध्यार्थियो की अभिवृत्ति का अध्ययन